पत्रांक–अ०सं०क०–07 / म0–01 / 2024......................../

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी,
विशेष सचिव–सह–निदेषक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक....................

विषय : **वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना अन्तर्गत मदरसा जामियाँ रहमानियाँ, शमशुल उलूम, खिरी राजपुर, जिला–बक्सर में 04 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, कम्प्यूटर रूम, पुस्तकालय, 01 रसोई घर, 02 शौचालय, बोरिंग पम्प तथा टंकी नल, बॉन्ड्री का निर्माण कार्य हेतु स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना) को द्वितीय किस्त के रूप में राशि ₹ 7.77 / –लाख (सात लाख सतहतर हजार रूपये) मात्र की आवंटन एवं निकासी के संबंध में।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

महाशय,

बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना अन्तर्गत मदरसा जामियाँ रहमानियाँ, शमशुल उलूम, खिरी राजपुर, जिला–बक्सर में 04 वर्ग कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, कम्प्यूटर रूम, पुस्तकालय, 01 रसोई घर, 02 शौचालय, बोरिंग पम्प तथा टंकी नल, बॉन्ड्री का निर्माण कार्य हेतु स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना) से अनुमोदित तकनीकी प्राक्कलन के आधार पर राशि ₹112.36 / – लाख (एक करोड़ बारह लाख छत्तीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रथम किस्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि ₹25.00 / – लाख (पचीस लाख रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की अनुमति स्वीकृत्यादेश संख्या–60, दिनांक–08.05.2025 द्वारा प्रदान की गई है। कार्य प्रगति के आधार पर आवश्यकता अनुसार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना) में निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किस्त के रूप में राशि ₹ 7.77 / –लाख (सात लाख सतहतर हजार रूपये) मात्र का आवंटन एवं निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में आवंटित राशि ₹ 7.77 / –लाख (सात लाख सतहतर हजार रूपये) मात्र बजट माँग संख्या–30 मुख्य शीर्ष–4225–अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों के कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–04–अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उप शीर्ष–0102–बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के विषय शीर्ष–53–01 (मुख्य निर्माण कार्य) विपत्र कोड–30–4225040510102 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत राशि ₹ 7.77 / –लाख (सात लाख सतहतर हजार रूपये) मात्र Bihar Local Area Development Agency (BLADA), योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पी० एल० खाता में विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा BTC Form-46 में विपत्र तैयार कर CFMS के माध्यम से अंतरित की जायेगी। पी०एल० खाता से संबंधित विवरण निम्नलिखित है :–

PL Code	:-	PTSPLA011
PL Name	:-	Bihar Local Area Development Agency (BLADA), योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
Ledger ID	:-	20162

4. इस योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला के स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना) द्वारा किया जाएगा।

5. उक्त योजना के निर्माण कार्य हेतु BLADA/LAEO द्वारा स्वीकृत्यादेश में आवंटित राशि ₹ 7.77 / –लाख (सात लाख सतहतर हजार रूपये) मात्र की निकासी एवं उपयोग वित्त विभाग के द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों / निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उक्त योजना बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना की मार्गनिर्देशिका के अनुसार क्रियान्वित किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि०(2), दिनांक--05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.93 में वर्णित निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(कृ०पृ०उ०)

9. योजना के क्रियान्वयन में बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभागीय पत्रांक–4989 / वि० दिनांक–16.05.2013 तथा संबंधित अन्य अद्यतन परिपत्र / आदेश की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा आपेक्षित होगा।

10. कार्य की प्रगति की समीक्षा संबंधित जिला पदाधिकारी / उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण, बक्सर के द्वारा की जायेगी एवं समय–समय पर प्रगति प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जायेगा।

11. उपर्युक्त पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. उपर्युक्त पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह० / –
विशेष सचिव–सह–निदेषक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–07 / म0–01 / 2024........................... /
पटना, दिनांक...........

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
विशेष सचिव–सह–निदेषक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–07 / म0–01 / 2024........................... /
पटना, दिनांक...........

प्रतिलिपि–सचिव, वित्त विभाग बिहार, पटना / सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
विशेष सचिव–सह–निदेषक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–07 / म0–01 / 2024........................... /
पटना, दिनांक...........

प्रतिलिपि–उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1489, दिनांक–12.03.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
विशेष सचिव–सह–निदेषक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–07 / म0–01 / 2024........................... /
पटना, दिनांक...........

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी / उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
विशेष सचिव–सह–निदेषक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–07 / म0–01 / 2024 802 /
पटना, दिनांक 17/03/25

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग / बजट शाखा / लेखा शाखा / आई० टी० मैनेजर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव–सह–निदेषक 17/3